न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 161/2026

सुनिल कुमार पता विलेज अमरसर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू पिनकोड 333502 मो.न. 8302717893

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 27.04.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 07.04.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 161/2026 पर दिनांक 07.04.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/1047—48 दिनांक 07.04.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना ने पत्रांक आरटीआई/अपील/2026/309 दिनांक 27.04.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 दिनांक 02.04.2026 को इस कार्यालय को आर.टी.आई. पोर्टल पर प्राप्त हुआ था। आवेदक द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना की पत्रावली सरकार बनाम सुमेर वगैरह की डिजिटल कॉपी चाही थी। आवेदक द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में आवेदक को पोर्टल के माध्यम से ही दिनांक 06.04.2026 को टिप्पणी कर अवगत करवा दिया गया था कि प्रकरण न्यायिक प्रकिया का होने से डिजिटल कॉपी दिया जाना संभव नहीं है, आवेदक स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कार्यालय समय में उपस्थित होकर नियमानुसार प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बुहाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 दिनांक 02.04.2026 को उनके कार्यालय को आर.टी.आई. पोर्टल पर प्राप्त हुआ था। आवेदक द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना की पत्रावली सरकार बनाम सुमेर वगैरह की डिजिटल कॉपी चाही थी। आवेदक द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में आवेदक को पोर्टल के माध्यम से ही दिनांक 06.04.2026 को टिप्पणी कर अवगत करवा दिया गया था कि प्रकरण न्यायिक प्रकिया का होने से डिजिटल कॉपी दिया जाना संभव नहीं है, आवेदक स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कार्यालय समय में उपस्थित होकर नियमानुसार प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं